वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2016-वैशाख 16, शके 1938**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च, 2016

क्र. 04-02/195/यो.रूपां./739.—यह कि केन्द्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ङ के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डीम्ड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अतिउच्चदाब विद्युत उपकेन्द्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेन्द्रों के बीच अतिउच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की है.

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:—

(1) **नाम:**—ये परियोजनायें 220 व 132 किलो वोल्ट (के. वी.) लाइनों व सम्बन्धित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी.

(2) **परियोजनाओं का विवरण:**—परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लम्बाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:—

(I). उपभोक्ता सहभागिता कार्य :

1. जल संसाधन विभाग द्वारा मोहनपुरा, जिला राजगढ़ में प्रस्तावित मोहनपुरा जलाशय (डेम) के निर्माण के फलस्वरूप 132 के. व्ही. ब्यावरा-राजगढ़ लाइन के लोकेशन क्रमांक 31 से 58 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई-2×11.60 अनुमानित लागत रु. 801.97 लाख.

2. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र मोरवा, जिला सिंगरौली से पूर्व मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतीकरण विभाग रेनुकूट द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र सिंगरौली, जिला सिंगरौली को क्रमबद्ध रूप से 21.6 एमव्हीए (वर्तमान में 5 एमव्हीए) विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण जिसमें 33 के. व्ही. मोरवा-अनपरा/बीना (पूर्व में मोरवा-रिहंड) एवं 132 के. व्ही. मोरवा-राजमिलान लाइनों का मोरवा उपकेन्द्र के समीप विस्थापन भी सम्मिलित है. कुल लंबाई-1×1.20, 2×0.50, एवं 2×0.30 अनुमानित लागत रु. 266.93 लाख.

3. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रा. रा.-75 के बेला-सतना खण्ड में एमपीआरडीसी, सं. क्र.-1, रीवा द्वारा 4-लेन मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप 132 के. व्ही. सतना-सतना सीमेन्ट/मझंगवॉ लाईन के लोके. क्र. 26 से 29 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2×0.80 अनुमानित लागत 68.00 लाख.

4. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रा. रा.-75 के बेला-सतना खण्ड में एमपीआरडीसी, सं. क्रमांक-1, रीवा द्वारा-4 लेन मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप 132 के. व्ही. सतना-मझंगवॉ लाईन के लोके.क्र. 01 से 04 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1×1.0 अनुमानित लागत 70.00 लाख.

5. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रा.रा.-75 के बेला-सतना खण्ड में एमपीआरडीसी, सं. क्र.-1, रीवा द्वारा 4-लेन मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप 132 के. व्ही. सतना-प्रिज्म सीमेन्ट लाईन के लोके. क्रमांक 118 से 121 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1×0.80 अनुमानित लागत 65.00 लाख.

6. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रा. रा.-75 के बेला-सतना खण्ड में एमपीआरडीसी, सं. क्र.-1, रीवा द्वारा 4-लेन मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप 132 के. व्ही. सतना-रामपुर बघेलान लाईन के लोके. क्र. 85 से 87 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लम्बाई 1×0.50 अनुमानित लागत 33.00 लाख.

7. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सिरमौर से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतीकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र दभौरा जिला रीवा को 5 एमव्हीए विद्युत आपूर्ती हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाईन का निर्माण कार्य, कुल लंबाई 1×56.10 अनुमानित लागत 3197.88 लाख (पूर्व में प्रकाशित राजपत्र क्रमांक 48, दिनांक 27 -11-2015 के सीरियल क्रमांक 11 का संशोधित कार्य).

8. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र नरसिंहपुर से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतीकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर को 5 एमव्हीए विद्युत आपूर्ती हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाईन का निर्माण कार्य कुल लंबाई 1×9.20 अनुमानित लागत-1157.55 लाख.

9. 400 के. व्ही. उपकेन्द्र कटनी से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतीकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र पटवारा (पूर्व में कटनी दक्षिण) जिला कटनी को 5 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण जिसमें 132 के. व्ही. कटनी-सलीमनाबाद लाईन का कटनी उपकेन्द्र के समीप विस्थापन भी सम्मिलित है. कुल लंबाई 2×19.70 अनुमानित लागत रु. 1340.61 लाख (पूर्व में प्रकाशित राजपत्र क्रमांक 17, दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के सीरियल क्रमांक 15 का संशोधित कार्य).

10. मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएटस् के शेष खनन गतिविधियों के संचालन हेतु 132 के. व्ही. गुड़हर (रीवा)— जेपी रीवा लाईन के लोके क्र. 30 से 35 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2×1.50 अनुमानित लागत-133.11 लाख.

11. इंदौर पब्लिक स्कूल परिसर में लाईन की ऊर्ध्वाधर दूरी में वृद्धि करने हेतु 220 के. व्ही. इंदौर-बड़नगर/पीथमपुर लाईन के लोके. क्र. 29 से 31 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 2×0.6 अनुमानित लागत-114.89 लाख.

12. पश्चिम रेल्वे के इंदौर-दाहोद रेल पथ एवं सागौर रेल्वे स्टेशन के प्रस्तावित निर्माण के फलस्वरूप 132 के. व्ही. इन्दौर-धार लाईन के लोके. क्र. 29 से 33 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लंबाई 1×0.80 अनुमानित लागत-112.50 लाख.

13. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र गुदगाँव, तहसील भैसदेही, जिला बैतूल से मेसर्स कुकरु विण्ड पावर प्रायवेट लिमिटेड (मेसर्स बैतूल विण्डफार्म लिमिटेड) के ग्राम खामला और तहसील भैसदेही के समीप, जिला बैतूल में प्रस्तावित 52.8 मेगावाट पवन ऊर्जा विद्युत गृह तक विद्यमान 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का निर्माण कार्य,कुल लंबाई 1×23.00 अनुमानित लागत 341.41 लाख (पूर्व में प्रकाशित राजपत्र क्रमांक 02, दिनांक 08-01-2016 प्रकाशित का संशोधन).

14. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र धार से मेसर्स वेकमट इंडिया लिमिटेड द्वारा धार जिले के उज्जैनी औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित संयंत्र को 132 के. व्ही. विभव पर विद्युत आपूर्ती हेतु 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का 50 प्रतिशत-50 प्रतिशत सहभागिता अंतर्गत निर्माण कार्य, कुल लंबाई 2×12 अनुमानित लागत 1123.53 लाख.

15. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र राजगढ़ (ब्यावरा) से मेसर्स रिन्यूक्लीन एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड के ग्राम जैतपुरा एवं समीपवर्ती गाँव, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ में प्रस्तावित 51 मेगावाट एस. पी. वी. विद्युत उत्पादन परियोजना के पुलिंग उपकेन्द्र तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, कुल लंबाई 1×9.0 अनुमानित लागत 946.27 लाख.

16. मेसर्स सागर मेन्युफेक्चरिंग प्रा. लिमिटेड के ग्राम तामोट, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन में स्थापित सागर यार्न संयंत्र की विद्युत आपूर्ती व्यवस्था 33 के. व्ही. से 132 के. व्ही. विभव पर परिवर्तित करने हेतु प्रस्तावित 132 के. व्ही. उपकेन्द्र टामोट से उनके संयंत्र तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, कुल लम्बाई 1×3.10 अनुमानित लागत 276.82 लाख.

17. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रा.रा.-75 ई के रीवा-सीधी खण्ड के 4-लेन मार्ग उन्नयन हेतु एमपीआरडीसी, रीवा द्वारा निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. रीवा-टोन्स लाईन के लोके. क्र. 133 से 138 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, कुल लम्बाई 2×1.60 अनुमानित लागत 59.95 लाख.

कुल अनुमानित लागत : उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 101.09 करोड़ है.

(3) टावर, खम्भे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम, 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खम्भे, तार दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत् भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख-रखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के सम्बन्ध में प्राप्त हैं.

(4) एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं.

एस. एन. गोयल,
मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स).
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर.

(58-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सूचित हो कि पूर्व में अपना उपनाम ''गुप्ता'' रहा होकर मेरा नाम मुरलीधर गुप्ता पिता श्री होतीलाल था व इसी नाम व उपनाम से जाना, पहचाना व संबोधित किया जाता था. अब मैंने अपना उपनाम परिवर्तित कर ''अग्रवाल'' कर लिया है. अतः अब मुझे मुरलीधर अग्रवाल पिता श्री होतीलाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(मुरलीधर गुप्ता)

नया नाम :

(मुरलीधर अग्रवाल)
पिता-श्री होतीलाल,
201, शेखर ग्रेण्ड, 15/2, सीताबाग कॉलोनी,
इन्दौर (म.प्र.).

(43-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा उपनाम ''गुप्ता'' रहा होकर मेरा पूर्ण नाम उपनाम सहित श्रीमती कृष्णा गुप्ता पति श्री मुरलीधर गुप्ता था व मुझे इसी नाम व उपनाम से जाना व पहचाना व संबोधित किया जाता रहा है व यही नाम मेरे दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है. मैंने अपने उपनाम गुप्ता के स्थान पर परिवर्तित कर अग्रवाल कर लिया है व अब मेरा पूर्ण नाम उपनाम सहित ''श्रीमती कृष्णा अग्रवाल पति मुरलीधर अग्रवाल'' कर लिया है व भविष्य में अब मुझे अपने परिवर्तित उपनाम से जाना, पहचाना व संबोधित किया जायेगा.

पुराना नाम :

(कृष्णा गुप्ता)

नया नाम :

(कृष्णा अग्रवाल)
पति श्री मुरलीधर
201, शेखर ग्रेण्ड, 15/2, सीताबाग कॉलोनी,
नेहरूपार्क रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(44-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा उपनाम ''गुप्ता'' रहा होकर मेरा पूर्ण नाम उपनाम सहित विशाल गुप्ता पिता श्री मुरलीधर गुप्ता था व मुझे इसी नाम व उपनाम से जाना, पहचाना व संबोधित किया जाता रहा है व यही नाम मेरे दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है. मैंने अपने उपनाम गुप्ता के स्थान पर परिवर्तित कर अग्रवाल कर लिया है व अब मेरा पूर्ण नाम उपनाम सहित विशाल अग्रवाल पिता श्री मुरलीधर कर लिया है व भविष्य में अब मुझे अपने परिवर्तित उपनाम से जाना, पहचाना व संबोधित किया जाएगा.

पुराना नाम :

(विशाल गुप्ता)

नया नाम :

(विशाल अग्रवाल)

पिता श्री मुरलीधर

201, शेखर ग्रेण्ड, 15/2, सीताबाग कॉलोनी,

(45-बी.) नेहरूपार्क रोड, इन्दौर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मेरे द्वारा वर्तमान तक अपना नाम श्रीमती सविता पति श्री विशाल गुप्ता का प्रयोग कर में इसी नाम से जानी, पहचानी व संबोधित की जाती रही व मेरा यही नाम व उपनाम मेरे अन्य दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है. अब मैंने अपना उपनाम गुप्ता के स्थान पर परिवर्तित कर अग्रवाल कर लिया है व अब मेरा पूर्ण नाम श्रीमती सविता अग्रवाल पति श्री विशाल रहेगा व भविष्य में अब मैं अपने परिवर्तित इसी उपनाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(सविता गुप्ता)

नया नाम :

(सविता अग्रवाल)

पति श्री विशाल

201, शेखर ग्रेण्ड, 15/2, सीताबाग कॉलोनी,

(46-बी.) नेहरूपार्क रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम व उपनाम ''रजत गुप्ता पिता श्री विशाल'' था व इसी नाम व उपनाम से जाना व पहचाना व संबोधित किया जाता था व यही नाम उसके शैक्षणिक अभिलेख आदि में दर्ज है. अब मेरे पुत्र का नाम व उपनाम परिवर्तित कर ''कौस्तुभ अग्रवाल पिता श्री विशाल'' कर लिया है. अत: अब मेरे पुत्र को कौस्तुभ अग्रवाल पिता श्री विशाल के नाम से जाना व पहचाना जाये.

विशाल,

(पिता श्री मुरलीधर)

201, शेखर ग्रेण्ड, 15/2, सीताबाग कॉलोनी,

(47-बी.) नेहरूपार्क रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री मिनाक्षी गुप्ता पिता श्री विशाल गुप्ता, आयु-12 वर्ष होकर मेरे द्वारा अपनी पुत्री संतान का नाम व उपनाम वर्तमान तक मिनाक्षी गुप्ता पिता श्री विशाल गुप्ता रखा होकर मेरी पुत्री इसी नाम व उपनाम से जानी व पहचानी व संबोधित की जाती रही व उसकी यही नाम उसके दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है. मैंने अपनी पुत्री मिनाक्षी का नाम उपनाम परिवर्तित करते उसका नाम ईशानी अग्रवाल पिता श्री विशाल रख दिया व भविष्य में मेरी पुत्री इसी नाम अर्थात ईशानी अग्रवाल पिता श्री विशाल के नाम से जानी व पहचानी व संबोधित की जाएगी.

विशाल,

(पिता श्री मुरलीधर)

201, शेखर ग्रेण्ड, 15/2, सीताबाग कॉलोनी,

(48-बी.) नेहरूपार्क रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी रानी गुरदासानी पिता श्री चन्दुलाल गुरदासानी था, विवाह पश्चात् मेरा नाम सौं. सोनाली अगीचानी पति श्री राजेश अगीचानी हो गया है. अत: अब मुझे ''श्रीमति सोनाली अगीचानी पति श्री राजेश अगीचानी'' के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(रानी गुरदासानी)

नया नाम :

(सोनाली अगीचानी)

पति श्री राजेश अगीचानी,

(49-बी.) 183, कालानी नगर, इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन.

मैं, नरेश कुमार उपनाम मीना, पिता स्व. श्री मेहरबान सिंह मीना इस प्रकाशन द्वारा सर्वजन को सूचित कराता हूं कि मैंने अपना पूर्व नाम नरेश कुमार से नवीन नाम नरेश मेहरबानसिंह, राजपत्रित अधिकारियों एवं नोटरी पब्लिक, भानपुरा, जिला मंदसौर, म. प्र. के समक्ष दिनांक 18 मार्च, 2016 को परिवर्तित किया है. अब मुझे मेरे सभी प्रयोजनो में मेरे नवीन नाम नरेश मेहरबान सिंह से जाना जायेगा.

पुराना नाम :

(नरेश कुमार)

नया नाम :

(नरेश मेहरबान सिंह)

निवासी—डाक बंगला कॉलोनी,
वार्ड नं. 04, भानपुरा, जिला मंदसौर (म.प्र.).

(50–बी.)

CHANGE OF NAME

I, IC-54914X Lt Col Mahesh Kumar Nain S/o OMBIR SINGH of Unit MB Area Provost Unit, Jabalpur (MP) residing at Q. No. 222/2, Vinay Rao Chauhan Enclave Ridge Road, Cantt Jabalpur (MP). My name in 10th class marksheet has been recorded as Mahesh Kumar. As per army records, my name has been recorded as Mahesh Kumar Nain. Both the name belongs to same person. Now i will be known as Mahesh Kumar Nain in future for all purposes.

Old Name :

(MAHESH KUMAR)

New Name :

(MAHESH KUMAR NAIN)

(51-B.)

PUBLIC NOTICE

This is to bring to public notice that there is a Difference in Name of Ganpat Patel as mentioned in the Partnership deed of M/s Raisingh and Company and in other legal documents.

That in the partnership deed Dated 13-03-2014 (Effective Date 01-11-2013) The name has been published as Ganpat Machhirke whereas in Pan, Aadhaar and all other legal documents the actual name is Ganpat Patel.

Hence to substantiate the same that Ganpat Patel and Ganpat Machhirke are the name of a single person this public notice has been published. Thus Ganpat Patel and Ganpat Machhirke may kindly be considered as the name of a single person.

Old Name :

(GANPAT MACHHIRKE)

New Name :

(GANPAT PATEL)

Address-Gali No. 4 Prem Nagar,
Balaghat (M. P.).

(52-B.)

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम ABDUL ANISH था जिसमें बदलाव कर ABDUL ANEESH QURESHI कर लिया है, अब सभी जगह मेरा नया नाम ABDUL ANEESH QURESHI लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(ABDUL ANISH)

नया नाम :

(ABDUL ANEESH QURESHI)

Ward No. 2, Edc. Colliery,
Parasia, Distt. Chhindwara (M. P.).

(53-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदारी फर्म मेसर्स दत्तात्रय इंजीनियरिंग वर्क्स, कार्यालय एफ-88, औधोगिक क्षेत्र गोविंदपुरा, भोपाल मध्यप्रदेश में स्थित है. जिसका फर्म का रजिस्ट्रेशन क्र. 01/01/01/0362/15, वर्ष 2015-16 दिनांक 30-12-2015 पर रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी भोपाल म.प्र. में दर्ज है. जिसमें दो भागीदार 1. श्रीपाद म. दुधांडे आत्मज स्व. श्री महादेव म. दुधांडे, आयु-वयस्क, निवासी-38, सेक्टर-सी, सुभाष कॉलोनी, सेमरा रोड, भोपाल, 2. श्री विनीत देवानी आत्मज श्री रमेश लाल देवानी, आयु-वयस्क, निवासी-म. नं. 09, नीलकंठ कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल के है.

यह कि उपरोक्त भागीदारी फर्म का विघंटन दिनांक 31 मार्च, 2016 से दोनों भागीदार श्रीपाद म. दुधांडे एवं श्री विनीत देवानी के मध्य आपसी सहमति से हो गया है तथा किसी प्रकार का विवाद नहीं है. विघंटन दिनांक से फर्म का किसी प्रकार का कार्य संचालन नहीं किया जा रहा है, और किसी भी प्रकार का ऋण एवं देनदारी नहीं है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म, शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय आदि को कोई भी आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर मय दस्तावेज सहित आपत्ति प्रस्तुत करें.

सूचना ज्ञात हो.

मेसर्स दत्तात्रय इंजीनियरिंग वर्क्स भोपाल,
1. श्रीपाद म. दुधांडे,
2. श्री विनीत देवानी
मनोज आर. पाटिल,
(अधिवक्ता)
कार्यालय-34-सी सेक्टर, सोनागिरी भोपाल.

(54-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सूर्यांश इन्फ्रास्ट्रक्चर पता-हर्दी हाउस पुष्पराजनगर, रीवा फर्म का पंजीयन क्रमांक 05/22/03/00104/11 है. फर्म के भागीदारी विलेख के अनुसार पार्टनर नं. 01 श्री के. डी. सिंह पिता श्री वसुदेव सिंह, पता-इन्द्रा नगर रीवा (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से दिनांक 06-04-2016 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये है. जिनका फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा. अत: जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

मेसर्स सूर्यांश इन्फ्रास्ट्रक्चर,
प्रमोद सिंह,
(पार्टनर)
पता-पुष्पराज नगर, रीवा (म.प्र.).

(55-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एम. पी. बिल्डर्स फर्म का पंजीयन क्रमांक 05/22/03/00079/10 है फर्म के भागीदारी विलेख के अनुसार पार्टनर नं. 03 श्री कमलेश्वर सिंह, पता-बॉसघाट बस स्टैण्ड, रीवा (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से दिनांक 24-03-2015 से फर्म से रिटायर हो गये है. जिनका फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा एवं नये पार्टनर के रूप में पार्टनर नं. 6 श्री अशोक सिंह, पता-मकान नं. 24/205, द्वारिका नगर, रीवा (म.प्र.) दिनांक 24-03-2015 से फर्म में शामिल हो गये है. अत: जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

मेसर्स एम. पी. बिल्डर्स,
विकास सिंह,
(पार्टनर)
पता-बॉसघाट बस स्टैण्ड, रीवा (म.प्र.).

(56-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform to the general public that there is a change in partnership firm named M/s SANGEETA TRADERS having its Office at 1731, Tamera Mohalla, Bai Ka Bagicha, Sheetala Mai Ward, Jabalpur (M.P.) is registered with Registrar of firms and societies and having registration No. F63601011404161220l5. The firm was originally came in to existence since 15-12-2015 the firm consists of 10 partners originally. The firm has now introduced two new partners w.e.f. 15-03-2016 the details of the two new partners are:-

1. Shri Sandeep Yadav S/o Shri Hari Prasad Yadav, aged 45 years and residing at Flat No. 1399, Shivchaya, Russel chowk, Napier Town, Jabalpur.
2. Shri Mukesh Bilwar S/o Late Shri Radheshyam Bilwari, Aged 49 years and residing at Gaura Devi ward, Gotegaon.

The admission cum partnership deed is available in this regard with the partners of the firm.

This public notice is issued by the partner Mr. Ritesh Sharma and Mr. Rohit Jat Authorised by the partner of the firm.

M/s SANGEETA TRADERS
RITESH SHARMA,
(Partner).

(57-बी.)

सूचना पत्र

समस्त साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कुशवाह कन्सट्रक्शन कम्पनी डी-31, कैलाश नगर, ग्वालियर की फर्म से श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह, पुत्र श्री शिवदत्त सिंह कुशवाह एवं श्री कृष्णपाल सिंह राठौर पुत्र श्री हरबल सिंह राठौर अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01-04-2016 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो रहे हैं.

M/s Kushwah Construction Co.
RAM BARAN SINGH KUSHWAH,
(Partner).

(59-बी.)

जाहिर सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम-1932 की धारा-72 के अधीन सूचना

सर्व-सूचित हो कि मेसर्स मध्यांचल एसोसियेट, पता-25, एम. पी. नगर जोन-2, भोपाल पंजीयन क्रमांक-147/03-04 में क्रमशः वाय. पी. शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा, श्री सुरेश पचौरी पुत्र स्व. श्री कालिका प्रसाद जी पचौरी, श्री एस. के. खोसला पुत्र डॉ. एस. एल. खोसला, श्री उपमन्यु त्रिवेदी आ. डॉ. आर. के. त्रिवेदी भागीदार है. दिनांक 01 मई, 2004 से श्री सुरेश पचौरी आ. स्व. श्री कालिका प्रसाद जी पचौरी उक्त फर्म से पृथक् हो गये तथा दिनांक 01 मई, 2005 से श्रीमती शारदा शर्मा पत्नी स्व. श्री एम. एल. शर्मा, निवासी-डी. एल. एफ.-8/8, भूतल गुड़गॉव हरियाणा उक्त फर्म में पार्टनर के रूप में समायोजित हुई है.

अतएव दिनांक 01 मई, 2004 से मेसर्स मध्यांचल एसोसियेट पंजीयन क्रमांक-147/03-04 में क्रमशः बाय. पी. शर्मा, पुत्र श्री रामप्रकाश जी शर्मा, श्री एस. के. खोसला पुत्र डॉ. एस. एल. खोसला, श्री उपमन्यु त्रिवेदी पुत्र डॉ. आर. के. त्रिवेदी, श्रीमती शारदा शर्मा पत्नी स्व. श्री एम. एल. शर्मा समस्त फर्म के समान भागीदार हैं.

भवदीय
संगीता अभंग,
(एडवोकेट).

(60-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मैसर्स एण्ड कटारे एण्ड कम्पनी, जिसका कि फर्म रजिस्ट्रार में पंजीयन क्रमांक-2/42/01/00138/10 दिनांक 09-09-2010 है, में नये साझेदार श्री नरेश कटारे पुत्र विशंभर दयाल दिनांक 07-02-2012 के सम्मिलित किये गये हैं एवं श्री नरेश कटारे दिनांक 16-05-2012 से साझेदारी में त्याग-पत्र दे चुके हैं और दिनांक 30-05-2015 से निम्न तीन साझेदारों ने त्याग-पत्र दे दिया है.

1. वीरेन्द्र शर्मा पुत्र चोखीराम शर्मा, 2. पुष्पा शर्मा पत्नी वीरेन्द्र शर्मा, 3. सुरेन्द्र शर्मा पुत्र चोखीराम शर्मा

एवं शेष सभी साझेदार यथावत रहेंगे.

फर्म मै. कटारे एण्ड कम्पनी,
राजेश कटारे,
(साझेदार)
किचलु साहब का बाड़ा, बारादरी चौराहा,
मुरार, ग्वालियर (म. प्र.)

(61-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन

प्र. क्र. 02/बी-113(1)/2015-16.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन.

चूंकि प्रार्थी श्री नवनीतलाल पिता श्री बाबूलाल भंडारी, निवासी विश्वसखा कॉलोनी, खरगोन एवं अन्य सदस्यों द्वारा "ऊँ दामखेड़ा नागराज

मंदिर ट्रस्ट'' के नाम से खरगोन में ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	नगद	-	-	30,443-00 रुपये
2.	अचल सम्पत्ति	ग्राम दामखेड़ा की ख. नं. 52/1/3 रकबा 0-809 हेक्टर भूमि.	-	-

महेन्द्रसिंह कवचे,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(313)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक निलेश पोरवाल अन्य-9, पता-13/11, मीरापथ कॉलोनी, धेनु मार्केट, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा श्री नरीमन नवकार जैन श्वे. मूर्ति पूजक ट्रस्ट, इन्दौर, कार्यालय पता-13/11, मीरापथ कॉलोनी, धेनु मार्केट, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम : श्री नरीमन नवकार जैन श्वे. मूर्ति पूजक ट्रस्ट.

कार्यालय का पता : 13/11, मीरापथ कॉलोनी, धेनु मार्केट, इन्दौर (म. प्र.)

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(314)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक अनिल पिता श्री मनोहर सतवानी, पता—34, शांति निकेतन, नियर बाम्बे हॉस्पिटल, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा हम तुम ट्रस्ट, इन्दौर, कार्यालय पता-146, सेक्टर बी, बसंत विहार कॉलोनी, विजय नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	हम तुम ट्रस्ट.
कार्यालय का पता	:	146, सेक्टर बी, बसंत विहार कॉलोनी, विजय नगर, इन्दौर (म. प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(314-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक सरोज सोनी नीमा पिता श्री जितेन्द्र नीमा, पता—106, कृष्णा टॉवर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा पवित्रम पारमार्थिक ट्रस्ट, इन्दौर, कार्यालय पता-721-722, 723 उषा नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	पवित्रम पारमार्थिक ट्रस्ट.
कार्यालय का पता	:	721-722, 723 उषा नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रु. 5,000/- (रु. पाँच हजार मात्र)

आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(314-B)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री महंत रामचरण दास जी गुरू महंत रामरतन दास जी, पता—287, नया 401, एम. जी. रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा श्री हंसदास मठ पीलियाखाल संस्थान धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक व पारमार्थिक ट्रस्ट, इन्दौर, कार्यालय पता—287, नया 401, एम. जी. रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री हंसदास मठ पीलियाखाल संस्थान धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक व पारमार्थिक ट्रस्ट.
कार्यालय का पता	:	287, नया 401, एम. जी. रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रु. 11,000/- (रु. ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(314-C)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री सुनील पिता कैलाशचंद्र त्रिवेदी, निवासी—502, प्रिसेंस गार्डन, 26-29, बैकुण्ठधाम कॉलोनी, इन्दौर, मध्यप्रदेश के द्वारा गुजराती समाज पारमार्थिक ट्रस्ट, इन्दौर, कार्यालय पता—2, महारानी रोड, त्रिवेदी चेम्बर, इन्दौर, मध्यप्रदेश के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	गुजराती समाज पारमार्थिक ट्रस्ट.
कार्यालय का पता	:	2, महारानी रोड, त्रिवेदी चेम्बर, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रु. 77,000/- (रु.सत्तर हजार मात्र)

आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(314-D)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री स्वामी गंगाराम पिता बोंदरजी चौहान, पता—22, कान्यकुब्ज नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा स्वामी गंगाराम नाद ब्रहम ध्यान योगधाम ट्रस्ट, कार्यालय पता—मृगनयनी फार्म्स, ग्राम नेनौद, इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.) जिला इन्दौर के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	स्वामी गंगाराम नाद ब्रहम ध्यान योगधाम ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय—मृगनयनी फार्म्स, ग्राम नेनौद, इन्दौर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम नेनौद स्थित एक आश्रम 80 बाय 100.
चल सम्पत्ति	:	रु. 54,881/- (अक्षरी रुपये चौवन हजार आठ सौ इक्यासी मात्र)

आज दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
पंजीयक.

(314-E)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट (ग्रामीण), रतलाम

रतलाम, दिनांक 11 अप्रैल, 2016

क्र./ /बी-113(1)/2015-16.

फॉर्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 (2) के तहत]

क्र. 389/आर-3/2016.—आवेदक अध्यक्ष राजेश कुमार पिता रखबचंदजी मालवी, निवासी ग्राम मांगरोल के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत "ग्राम मांगरोल में राज भव्य शीतल धार्मिक चेरिटेबल ट्रस्ट" के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो अथवा आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 13 मई, 2016 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11-00 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होवें. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यासी का पूरा नाम	:	"राज भव्य शीतल धार्मिक चेरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम मांगरोल, तहसील रतलाम.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	ट्रस्ट के पास मात्र 21,000/- (इक्कीस हजार) की पूंजी है जो नकदी है. पंजीयन पश्चात् दान से या अन्य धार्मिक स्रोत से प्राप्त की जावेगी. इसका उल्लेख ट्रस्ट डीड में किया है. घोषणा क्र. 5 के अनुसार.

नेहा भारतीय,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(332)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग अशोकनगर

अशोकनगर, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

प्र.क्र./ 01/बी-113/2011-12.

इस न्यायालय में गुरूमत रूहानी धर्माथ प्रचार चेरीटेबल ट्रस्ट गुरूद्वारा ईशर प्रकाश वरियामसर, ग्राम पवारगढ़, तहसील व जिला अशोकनगर की ग्राम पवारगढ़ स्थित भूमि सर्वे नं. 174/3, मिन रकवा 0.836 है., सर्वे नं. 174/3 मिन रकवा 0.418, सर्वे नं. 188/4 रकवा 1.927 है., सर्वे नं. 188/5 रकवा 1.583 है. कुल किता 04 कुल रकवा 4.764 है. कुल लगानी 15 रु. है. 4.764 है. का प्रकरण मध्यप्रदेश लोक न्यास एक्ट की धारा-4 के अंतर्गत गुरूमत रूहानी धर्माथ प्रचार चेरीटेबल ट्रस्ट गुरूद्वारा ईशर प्रकाश वरियामसर, ग्राम पवारगढ़, तहसील व जिला अशोकनगर की न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है. उक्त आवेदन पर मेरे द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को विचार किया जावेगा.

इस धार्मिक स्थल की चल व अचल संपत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति उपरोक्त ट्रस्ट की संपत्ति के बाबत किसी भी प्रकार का संबंध रखता है तो वह कोई भी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में लिखित रूप से इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 15 दिवस के अंदर मेरे समक्ष स्वयं/अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. तिथि निकल जाने के पश्चात् की गई किसी भी प्रकार की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची क्रमांक-1

प्रबंधन कार्यकारणी (न्यासीगण) के सदस्यों, प्रबंधक, न्यासी व पदाधिकारियों की सूची—

1.	श्रीमान् संत बाबा गुरूदीप सिंह	:	अध्यक्ष

2.	श्रीमान संत बाबा सतनामसिंह चीमा	:	उपाध्यक्ष
3.	श्री देवेन्द्र सिंह देव	:	सचिव
4.	श्री दया सिंह संधू	:	कोषाध्यक्ष
5.	श्री सुरिन्दर सिंह मिगलानी	:	सदस्य
6.	श्री गुरूनेव सिंह प्रधान	:	सदस्य
7.	श्री सतवंत सिंह संधू	:	सदस्य
8.	श्री विक्रम सिंह चीमा	:	सदस्य
9.	श्री गुलजार सिंह संधू	:	सदस्य

इच्छित गढ़पाले,
अनुविभागीय अधिकारी.

(333)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 2016

शाकेमु/स्था/प्रशिक्षु/( )2016/1420.—शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल में प्रशिक्षु नियम-1992 के तहत् एक वर्ष/दो वर्ष/तीन वर्ष के प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का वेतन एवं भत्ता नहीं दिया जावेगा. जिन उम्मीदवारों को प्रशिक्षु हेतु चयनित किया जावेगा. उन्हें निर्धारित स्टाईपेंड एक वर्ष/दो वर्ष/तीन वर्ष के लिये दिया जावेगा. प्रशिक्षु हेतु भिन्न-भिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण अवधि तथा शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :—

स. क्र.	शिक्षु पद का नाम	शिक्षु हेतु उपलब्ध पद संख्या	प्रशिक्षण हेतु अवधि	शैक्षणिक योग्यता
1.	बुक बाइण्डर	11	2 वर्ष	8 वीं उत्तीर्ण
2.	लिथो ऑफसेट	18	3 वर्ष	10 वीं (PCM) उत्तीर्ण (10+2 प्रणाली के अन्तर्गत)
3.	डी. टी. पी. ऑपरेटर	2	2 वर्ष	1. 12 वीं (10+2 प्रणाली के अन्तर्गत) 2. Typing Speed of 30 words per minute in English)
4.	प्लेट मेकर	1	2 वर्ष	10 वीं (PCM) उत्तीर्ण (10+2 प्रणाली के अन्तर्गत).

प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष है, विस्तृत जानकारी शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के नोटिस बोर्ड से प्राप्त की जा सकती है. आवेदन-पत्र दिनांक 20 मई, 2016 सायं 5.00 बजे तक कार्यालय उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में प्राप्त किए जायेंगे.

विस्तृत जानकारी एवं आवेदन-पत्र कार्यालय की वेबसाईट "आदेश" **www.govtpressmp.nic.in** से प्राप्त किया जा सकता है.

नोट— I T I से जिस ट्रेड में उम्मीदवार पास होगा उसका चयन किए जाने पर नियमानुसार प्रशिक्षण अवधि में छूट होगी.

विलास मंथनवार,
उप-नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल.

(334)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/308.—जगदंबा बीज उत्पादक क्रय-विक्रय विपणन सहकारी समिति मर्यादित, गांधवा, पंजीयन क्रमांक 1995 दिनांक 08 जनवरी, 2007 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा विगत तीन सीजन में बीज उत्पादक कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अत: संस्था को निम्न

कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. संस्था लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्य नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए जगदंबा बीज उत्पादक क्रय-विक्रय विपणन सहकारी समिति मर्यादित, गांधवा, पंजीयन क्रमांक 1995 दिनांक 08 जनवरी, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदान किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त होने की दशा में यह समझा जावेगा कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/308.—मुकुंद बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छैगांवमाखन, पंजीयन क्रमांक 2158, दिनांक 24 फरवरी, 2011 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा विगत तीन सीजन में बीज उत्पादक कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अत: संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. संस्था लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्य नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए मुकुंद बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छैगांवमाखन, पंजीयन क्रमांक 2158, दिनांक 24 फरवरी, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदान किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त होने की दशा में यह समझा जावेगा कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-A)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/308.—श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सांवखेडा, पंजीयन क्रमांक 2231, दिनांक 08 जुलाई, 2013 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा विगत तीन सीजन में बीज उत्पादक कार्यक्रम नहीं लिया गया है.

इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अत: संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. संस्था लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्य नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सांवखेडा, पंजीयन क्रमांक 2231, दिनांक 08 जुलाई, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदान किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त होने की दशा में यह समझा जावेगा कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-B)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/308.—किसान मित्र बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, झुमरखाली, पंजीयन क्रमांक 2345 दिनांक 10 फरवरी, 2015 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा विगत तीन सीजन में बीज उत्पादक कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अत: संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. संस्था लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्य नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए किसान मित्र बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, झुमरखाली, पंजीयन क्रमांक 2345 दिनांक 10 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदान किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त होने की दशा में यह समझा जावेगा कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-C)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/308.—श्री नर्मदा बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, रजुर, पंजीयन क्रमांक 2334, दिनांक 10 फरवरी, 2015 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा विगत तीन सीजन में बीज उत्पादक कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अत: संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. संस्था लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्य नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए श्री नर्मदा बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, रजुर, पंजीयन क्रमांक 2334, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदान किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त होने की दशा में यह समझा जावेगा कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-D)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/308.—मातुश्री बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, किल्लौद, पंजीयन क्रमांक 2349, दिनांक 10 फरवरी, 2005 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा विगत तीन सीजन में बीज उत्पादक कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अत: संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. संस्था लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्य नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए मातुश्री बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, किल्लौद, पंजीयन क्रमांक 2349, दिनांक 10 फरवरी, 2005 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदान किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष

प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त होने की दशा में यह समझा जावेगा कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315- E)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/308.—बालाजी बीज उत्पादक एवं कृषि आदान क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, भोजाखेडी, पंजीयन क्रमांक 2238, दिनांक 09 मार्च, 2013 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा विगत तीन सीजन में बीज उत्पादक कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अत: संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. संस्था लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्य नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए बालाजी बीज उत्पादक एवं कृषि आदान क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, भोजाखेडी, पंजीयन क्रमांक 2238, दिनांक 09 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदान किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त होने की दशा में यह समझा जावेगा कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-F)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/308.—सरस्वती बीज उत्पादक क्रय-विक्रय विपणन सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2057, दिनांक 09 मई, 2007 का प्रमुख उद्देश्य बीज उत्पादन करना है. कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्था के द्वारा विगत तीन सीजन में बीज उत्पादक कार्यक्रम नहीं लिया गया है. इस प्रकार संस्था जिस उद्देश्य के लिये पंजीकृत की गई थी उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है. अत: संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. संस्था लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्य नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त

किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए सरस्वती बीज उत्पादक क्रय-विक्रय विपणन सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2057, दिनांक 09 मई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदान किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त होने की दशा में यह समझा जावेगा कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-G)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/315.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/440, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा एकता आदिवासी विस्था. मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, माल्यापुर (पामाखेडी), पंजी. क्रमांक 2109, दिनांक 02 सितम्बर, 2009 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख) के अंतर्गत श्री आर. एम. विश्नोई, सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एकता आदिवासी विस्था. मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, माल्यापुर (पामाखेडी), पंजी. क्रमांक 2109, दिनांक 02 सितम्बर, 2009 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-H)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/316.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/436, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा जय जयन्ती माता आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, (पामाखेडी), पंजी. क्रमांक 2110, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख) के अंतर्गत श्री आर. एम. विश्नोई, सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.

3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए जय जयन्ती माता आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, (पामाखेडी), पंजी. क्रमांक 2110, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-I)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/317.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/228, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा श्री सिन्धु साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2309, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख) के अंतर्गत श्री एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.

2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.

3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए श्री सिन्धु साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2309, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-J)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/318.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/611, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा माँ नर्मदा फसल संरक्षण

सहकारी समिति मर्यादित, बामंदा, पंजी. क्रमांक 2049, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख) के अंतर्गत श्री एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए माँ नर्मदा फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्यादित, बामंदा, पंजी. क्रमांक 2049, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-K)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/319.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/601, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उण्डेल, पंजी. क्रमांक 2242, दिनांक 07 जनवरी, 2013 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख) के अंतर्गत श्री एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उण्डेल, पंजी. क्रमांक 2242, दिनांक 07 जनवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-L)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/320.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/383, खण्डवा, दिनांक 21 मई, 2015 के द्वारा तिलक नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1199, दिनांक 15 जनवरी, 1980 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख) के अंतर्गत श्री एस. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए तिलक नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1199, दिनांक 15 जनवरी, 1980 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-M)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/321.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/814, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा अमृत साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2307, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख) के अंतर्गत श्री ओ. पी. दुबे, सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए अमृत साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2307, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-N)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/322.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/695, खण्डवा, दिनांक 08 जून, 2015 के द्वारा सहकारिता विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 932, दिनांक 05 जुलाई, 1966 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख) के अंतर्गत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 932, दिनांक 05 जुलाई, 1966 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-O)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/324.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/1325, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा माँ नर्मदा मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भोगांवा, पंजी. क्रमांक 2115, दिनांक 19 अगस्त, 2008 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री एस. एस. मंडलोई, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए माँ नर्मदा मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भोगांवा, पंजी. क्रमांक 2115, दिनांक 19 अगस्त, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-P)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/324.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/1325, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा श्री लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2229, दिनांक 19 जून, 2013 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए श्री लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2229, दिनांक 19 जून, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-Q)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/325.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/322, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा अनुपम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1246, दिनांक 18 जून, 1981 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख)

के अंतर्गत श्री ओ. पी. खेडे, सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए अनुपम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1246, दिनांक 18 जून, 1981 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-R)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/326.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/644, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा वाल्मिकी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2224, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए वाल्मिकी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2224, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-S)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/327.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/803, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा किरण मुद्रण महिला सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2329, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री आर. एस. जायसवाल, उप-अंकेक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए किरण मुद्रण महिला सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2329, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-T)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/328.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/1318, खण्डवा, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 के द्वारा स्वामी कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1458, दिनांक 10 अक्टूबर, 1991 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख) के अंतर्गत श्रीमती भागवती मोरे, सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए स्वामी कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1458, दिनांक 10 अक्टूबर, 1991 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-U)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/329.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/527, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा शिवशक्ति बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, भीलखेड़ी, पंजी. क्रमांक 2219, दिनांक 14 मार्च, 2013 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख) के अंतर्गत श्री रमेशलाल मंगवानी, सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए शिवशक्ति बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, भीलखेड़ी, पंजी. क्रमांक 2219, दिनांक 14 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-V)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/330.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/241, खण्डवा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 के द्वारा कृषक उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, छनेरा, पंजी. क्रमांक 1935, दिनांक 31 मार्च, 2005 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख) के अंतर्गत श्री राधामोहन विश्नोई, सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए कृषक उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, छनेरा, पंजी. क्रमांक 1935, दिनांक 31 मार्च, 2005 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315-W)

खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2016/331.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/833, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा निमाड़ नागरिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, मूँदी, पंजी. क्रमांक 2302, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एल. सितलानी, सहकारी निरीक्षक, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए निमाड़ नागरिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, मूँदी, पंजी. क्रमांक 2302, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 15 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप-पंजीयक.

(315-X)

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला दमोह

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/335.—श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इमलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह

जिसका पंजीयन क्रमांक 766, दिनांक 31 जनवरी, 2013 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इमलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 766, दिनांक 31 जनवरी, 2013 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. दमोह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/336.—जयमाता ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., हिण्डोरिया, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 582, दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वषा से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत जयमाता ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., हिण्डोरिया, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 582, दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. दमोह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-A)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/337.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., विलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 522, दिनांक 10 सितम्बर, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., विलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 522, दिनांक 10 सितम्बर, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. दमोह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-B)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/338.—शक्ति महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., इमलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 520, दिनांक 30 अगस्त, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत शक्ति महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., इमलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 520, दिनांक 30 अगस्त, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. दमोह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-C)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/339.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., छापरी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 519, दिनांक 28 मार्च, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., छापरी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 519, दिनांक 28 मार्च, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. दमोह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-D)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/340.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., रनेह, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 610, दिनांक 03 नवम्बर, 2009 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., रनेह, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 610, दिनांक 03 नवम्बर, 2009 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-E)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/341.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., समनापुर, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 596, दिनांक 24 अप्रैल, 2008 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., समनापुर, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 596, दिनांक 24 अप्रैल, 2008 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. तेंदूखेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-F)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/342.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बैलवाड़ा, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 594, दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बैलवाड़ा, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 594, दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. तेंदूखेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-G)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/344.—सरस्वती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., तिरमुड़ा, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत सरस्वती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., तिरमुड़ा, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. बटियागढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-H)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/345.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पांजी पिडरई, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 580, दिनांक 26 नवम्बर, 2005 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पांजी पिडरई, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 580, दिनांक 26 नवम्बर, 2005 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. तेंदूखेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-I)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/346.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बम्होरीपांजी, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 579, दिनांक 26 नवम्बर, 2005 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बम्होरीपांजी, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 579, दिनांक 26 नवम्बर, 2005 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. तेंदूखेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-J)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/347.—श्रीराम महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सर्रा, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 578, दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत श्रीराम महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सर्रा, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 578, दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. तेंदूखेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-K)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/348.—ग्राम स्तरीय महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., हथना, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 567, दिनांक 01 जून, 2004 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत ग्राम स्तरीय महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., हथना, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 567, दिनांक 01 जून, 2004 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. दमोह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-L)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/349.—सहयोगी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., चंदोरा, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 575, दिनांक 11 मार्च, 2005 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत सहयोगी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., चंदोरा, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 575, दिनांक 11 मार्च, 2005 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. दमोह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-M)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/350.—इंदिरागाँधी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., तेजगढ़, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 561, दिनांक 27 सितम्बर, 2003 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत इंदिरागाँधी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., तेजगढ़, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 561, दिनांक 27 सितम्बर, 2003 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. तेंदूखेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-N)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/351.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पटेरा, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 562, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पटेरा, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 562, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. पटेरा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-O)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/352.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., भरतला, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 557, दिनांक 31 जुलाई, 2003 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., भरतला, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 557, दिनांक 31 जुलाई, 2003 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. पटेरा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-P)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/353.—माँ पार्वती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., घाटपिपरिया विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 558, दिनांक 31 जुलाई, 2003 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत माँ पार्वती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., घाटपिपरिया विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 558, दिनांक 31 जुलाई, 2003 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. दमोह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-Q)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/354.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., हरपालपुरा, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 555, दिनांक 13 जून, 2003 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., हरपालपुर, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 555, दिनांक 13 जून, 2003 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. पटेरा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-R)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/355.—संत रविदास महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बरखैरा चैन, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 542, दिनांक 19 नवम्बर, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत संत रविदास महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बरखैरा चैन, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 542, दिनांक 19 नवम्बर, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि., हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-S)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/356.—रानी दुर्गावती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., चौपरानदरई, विकासखण्ड पथरिया, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 539, दिनांक 13 नवम्बर, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत रानी दुर्गावती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., चौपरानदरई, विकासखण्ड पथरिया, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 539, दिनांक 13 नवम्बर, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि., पथरिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-T)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/357.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सीहोरा पड़रिया, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 535, दिनांक 06 नवम्बर, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सीहोरा पड़रिया, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 535, दिनांक 06 नवम्बर, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि., दमोह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-U)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/358.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बरमासा, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 536, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों

के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बरमासा, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 536, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि., दमोह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-V)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/359.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., करैयाराख, विकासखण्ड पथरिया, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 538, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., करैयाराख, विकासखण्ड पथरिया, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 538, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि., पथरिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-W)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/360.—गायत्री ग्राम स्तरीय महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सेमरा लखरोनी, विकासखण्ड पथरिया, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 550, दिनांक 26 मई, 2003 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है.

संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत गायत्री ग्राम स्तरीय महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सेमरा लखरोनी, विकासखण्ड पथरिया, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 550, दिनांक 26 मई, 2003 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि. पथरिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-X)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/361.—भारत माता महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुड़ई, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 526, दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत भारत माता महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुड़ई, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 526, दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि., पटेरा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-Y)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/362.—जय अंबे महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., हिरदेपुर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 528, दिनांक 23 अक्टूबर, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत जय अंबे महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., हिरदेपुर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 528, दिनांक 23 अक्टूबर, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि., दमोह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-Z)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/363.—सरस्वती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., रनेह, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 531, दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत सरस्वती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., रनेह, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 531, दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि., हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(317)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/364.—ग्राम स्तरीय महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सिंगपुर इमलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 530, दिनांक 20 अक्टूबर, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की

पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत ग्राम स्तरीय महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सिंगपुर इमलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 530, दिनांक 20 अक्टूबर, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि., दमोह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(317-A)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/365.—ग्राम स्तरीय महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बकायन, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 524, दिनांक 30 सितम्बर, 2002 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत ग्राम स्तरीय महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बकायन, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 524, दिनांक 30 सितम्बर, 2002 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि., बटियागढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(317-B)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/366.—केशव ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., दमोह, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 577, दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत

उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत केशव ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., दमोह, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 577, दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि., दमोह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(317-C)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/367.—हितार्थ महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बिजौरा खमरिया, विकासखण्ड जबेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 576, दिनांक 05 जून, 2005 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/87, दिनांक 08 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत हितार्थ महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बिजौरा खमरिया, विकासखण्ड जबेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 576, दिनांक 05 जून, 2005 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधि., जबेरा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(317-D)

दमोह, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/368.—तिलहन सहकारी समिति मर्या., बोरीखुर्द, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 481, दिनांक 25 जून, 1996 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा अपने पत्र क्र./34, दिनांक 03 फरवरी, 2016 लिखा गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप

कार्य न करने तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने से, संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/104, दिनांक 11 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत तिलहन सहकारी समिति मर्या., बोरीखुर्द, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 481, दिनांक 25 जून, 1996 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. सी. पटैल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(317-E)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/332.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमरिया महूना, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 745, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमरिया महूना, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 745, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. त्रिपाठी,
सहायक पंजीयक.

(311-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/331.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2014/573, दिनांक 26 जुलाई, 2014 के द्वारा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरजगाँव, जिसका पंजीयन क्रमांक 1619, दिनांक 02 फरवरी, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई. संस्था के परिसमापक श्री सी. एल. डोगरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी भण्डार मर्या., सिरजगाँव, जिसका पंजीयन क्रमांक 1619, दिनांक 02 फरवरी, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(318)

बैतूल, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/332.—गुरूबक्स चर्मउद्योग सहकारी संस्था मर्या., जौलखेड़ा, जिला बैतूल जिसका पंजीयन क्रमांक 97/658, दिनांक 10 नवम्बर, 1997 है, को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/128, दिनांक 05 फरवरी, 2016 के द्वारा दर्शाये गये कारणों से क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे इस हेतु उत्तर प्रस्तुत करने बावत् लेख किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिए 15 दिन की समयावधि दी गई थी तथा उक्त सम्बन्ध में आपत्ति बाबत् व्यक्तिगत् सुनवाई हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2016 नियत की गई थी, इस समयावधि में संस्था द्वारा न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही सुनवाई दिनांक को कोई उपस्थित हुआ तद्नुसार मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए उक्त गुरूबक्स चर्मउद्योग सहकारी संस्था मर्या., जौलखेड़ा, जिला बैतूल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती पूनमसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुलताई को संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुये आदेशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. व्ही. सोरते,
उप-पंजीयक.

(318-A)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2016-वैशाख 16, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 06 जनवरी, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, बड़वानी, जबलपुर व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला अनूपपुर में फसल गेहूँ व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, दमोह, रीवा, उमरिया, सीधी, आगर, धार, खरगौन, जबलपुर, नरसिंहपुर व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला सिवनी में फसल तुअर व सीधी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 06 जनवरी, 2016

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई- सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला अशोकनगर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	. .		4. (1) तिल-अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		अलसी, मसूर, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		प्याज.		
4. पवई	. .		(2) . .		
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज.	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		(2) . .		
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) धान, चना, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना अधिक. राहर, रामतिल, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) ज्वार, को. कु., मूँगफली, तुअर, बाजरा, अधिक. राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1)चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) मसूर, चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ अधिक. अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
***जिला झाबुआ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मूंगमोठ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. कपास, मक्का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) . .		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .	कार्य चालू है.	4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		अलसी, राई-सरसों अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	. .		(2) . .		
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) सोयाबीन, उड़द.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. उरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, तेवड़ा, तुअर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		अधिक.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1)गेहूँ, चना, मसूर, तिल, मटर, लाख, तिवड़ा.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गौहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
***जिला बैतूल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) मटर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) . .		
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूंग, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		मटर, मसूर अधिक. तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .		उड़द समान.		
4. गोटेगांव	. .		(2) . .		
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		राई-सरसों, अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, राम-तिल, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .		लाख समान.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. बोलखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व तुअर की	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूंग,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		अरण्डी,राई-सरसों, अलसी, कुसुम,		
4. बरघाट	. .		सूरजमुखी.		
5. उरई	. .		(2) . .		
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला अशोकनगर, झाबुआ, राजगढ़ व बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(312)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.